# <u>न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला जिला बैतूल (म०प्र०)</u> (पीठासीन अधिकारी— धन कुमार कुडोपा)

<u>व्यवहार वाद क0-46ए / 12</u> <u>संस्थापित दि0-06-12-12</u> फाईलिंग नं. 233504000232012

घनश्याम उर्फ मंगर्या वल्द चैतु गंगारे, उम्र—48 वर्ष, जाति कुन्बी, पेशा शिक्षक, नि०ग्राम ढुटमुर, पो० खापाखतेड़ा, तहसील आमला, जिला बैतूल म०प्र०।

\_\_\_\_<u>वादी</u>

#### -: <u>बनाम</u>:--

- रामप्रसाद वल्द दमडु बेले, उम्र–55 वर्ष, जाति मेहरा, निवासी ग्राम ढुटमुर, पो0 खापाखतेड़ा, तह0 आमला, जि0 बैतूल,
- रामनाथ वल्द दमडु बेले, उम्र 52 वर्ष, जाति मेहरा, निवासी ग्राम ढुटमूर पो० खापाखतेड़ा, तह० आमला, जि० बैतूल,
- बलवन्त वल्द दमडु बेले, उम्र–45 वर्ष, जाति मेहरा, निवासी ग्राम ढुटमूर, पो0 खापाखतेड़ा, तह0 व जिला बैतूल,
- 4. रामदयाल वल्द अमरचंद, उम्र—46 वर्ष, जाति मेहरा, निवासी ग्राम ढुटमुर, पो0 खापाखतेड़ा, तह0 आमला, जिला बैतूल,
- 5. म0प्र0 शासन, द्वारा कलेक्टर बैतूल

.....प्रतिवादीगण

# —: <u>निर्णय</u> :— ( आज दिनांक 24/10/16 को घोषित)

1— वादी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम ढुटमुर प०ह०नं० 10/31 राजस्व निरीक्षक मण्डल आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.038 हे0 एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे0 भूमि का एकमात्र स्वत्वधारी एवं उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नं. 63/2 भूमि पर अवैध कब्जे की वाद नक्शे में ई0एफ0जी0एच0 भाग से दर्शित है, का आधिपत्य हटाकर दिलाए जावे और खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि के सामने वाले भाग में वाद मानचित्र ए०बी०सी०डी० से दर्शित है, का अवैध कब्जा प्रतिवादीगण से हटवाकर सुखाधिकार के रूप में सार्वजनिक रास्ता का इस्तेमाल निर्वाद रूप से किए

जाने और प्रतिवादीगण वाद नक्शे में ए०बी०सी०डी० से दर्शित भाग पर प्रतिवादीगण अवैध कब्जा न करें, बाबत् यह दावा प्रस्तुत किया है।

- 2— वादी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ढुटमूर प०ह०नं० 10/31 रा०नि०मं० आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित भूमि जिसका खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 हे० एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे० भूमि वादी द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र के माध्यम से दिनांक 31/05/1993 को खरीदी गई थी। उक्त भूमि का वादी स्वत्वधारी है। उक्त विवादित भूमि एक दूसरे से लगी हुई है। उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सरकारी रास्ता है। उक्त विवादित भूमि माह अगस्त 2010 में प्रतिवादीगण द्वारा खसरा नं. 63/1 की भूमि पर निर्माण कार्य करने के लिए काम प्रारंभ किया गया। उस समय प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण सामाग्री एवं अन्य सामान रखने के लिए वादी से सहयोग के रूप में खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 की भूमि के इस्तेमाल करने की अनुमित मांगी तो जिस पर वादी का सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुये स्वयं के स्वामित्व वादग्रस्त भूमि ई०एफ०जी०एच० भाग एवं खसरा नं. 63/2 की शेष रोड से लगे हुये भाग एवं 64/2 के रोड से लगे हुये भाग का इस्तेमाल करने की अनुमित प्रतिवादीगण को दी गई।
- 3— वादी ने अपने वाद पत्र में बताया है कि उक्त भूमि के इस्तेमाल का प्रयोजन निर्माण सामाग्री रखने का था और उक्त भूमि पर निर्माण सामग्री इत्यादि रखने के प्रयोजन के लिए प्रतिवादीगण के द्वारा सामाग्री रखी गई। माह सितम्बर—अक्टूम्बर 2010 में वादी द्वारा प्रतिवादीगण से वादग्रस्त भूमि को रिक्त करने के लिए सामग्री हटाने के लिए कहा गया, तो प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि पर रिक्त कर वादी को आधिपत्य देने का आश्वसान दिया गया, और कहा गया कि थोड़े समय में प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य वादी को सौंप देगें, लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा वादग्रस्त भूमि का रिक्त आधिपत्य सौंपने में टालमटोल करते रहें, जिसके बाद वादी ने ग्राम पंचायत छावल के अंतर्गत ग्राम ढुटमूर के सरपंच एवं सचिव को उक्त शिकायत की गई एवं प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त अवैध कब्जा हटाए जाने का निवेदन किया गया। लेकिन इसके बाद भी प्रतिवादीगण के द्वारा वादी की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा नहीं हटाया गया है।
- 4— वादी ने अपने वाद पत्र में बताया है कि इसके बाद वादी ने विभिन्न प्रशासनिक अधिकारी को कब्जा हटाने हेतु आवेदन दिया, इसके बाद वादी के द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध कलेक्टर बैतूल को जन सुनाई दिनांक 30/03/12 को अवैध कब्जा हटाकर वादी को दिलाए जाने हेतु निवेदन किया। किन्तु प्रतिवादीगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। इसके पश्चात् वादी के द्वारा तहसीलदार आमला के द्वारा वादग्रस्त भूमि का आदेश दिया गया। तहसीलदार आमला के आदेश के परिपालन में पटवारी एव अन्य राजस्व कर्मचारी द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन किया गया। सीमांकन में वादी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि पर प्रतिवादीगण का

अवैध कब्जा पाया गया।

- वादी ने अपने वादपत्र में बताया है कि वादी द्वारा प्रतिवादीगण के द्वारा किये गए अवैध कब्जे को हटाने के लिए कहा गया, तो प्रतिवादीगण द्वारा एवं घर की महिलाओं के द्वारा गाली गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर वादी को हरीजन एक्ट के झूठे मुकदमें फंसाने की धमकी भी दी जाती है। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ नक्शा प्रस्तुत किया है जो वाद पत्र का अभिन्न अंग है, नक्शे में काली तिरछी रेखाओं से दर्शित भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। खसरा नं 63 / 2 में दर्शित तिरछी रेखा वाला भाग वादी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जिसमें से 0.008 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। उसी प्रकार खसरा नं 64 / 2 के सामने वाले तिरछी रेखा वाला भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया है। वादी के स्वत्व के स्वामित्व की भूमि पर खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि पर आम रास्ते का इस्तेमाल कर नहीं पहुँच पा रहा है जिससे की वादी के रास्ते का सुखाधिकार बाधित हो रहा है। उक्त रास्ते का इस्तेमाल वादी ही नहीं गांव के लोग एवं आम जनता भी करती है। खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 की भूमि से लगकर पूर्व दिशा में स्थित सरकारी रास्ते पर ए०बी०सी०डी० भाग पर भी प्रतिवादीगण के द्वारा झोपड़ीनुमा अवैध निर्माण कर लिया गया है। जिससे की वादी उसके स्वत्व की भूमि में नहीं पहुँच पा रहा है।
- 6— वादी अपने अपने वाद पत्र में बताया है कि प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नं. 63/2 में से रकबा 0.008 है0 भूमि पर अवैध कब्जे जो कि वाद मानचित्र में ई0एफ0जी0एच0 भाग से दर्शित है, में प्रतिवादीगण द्वारा देशी कवेलु की छपरीनुमा निर्माण कर दिया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा खिछा कर उक्त हिस्से पर सो जाया करते है, जिस कारण से वादी को स्वयं के स्वामित्व एवं स्वत्व की भूमि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 के समाने लगभग 1300 वर्गफिट की भूमि जो कि वाद मानचित्र में ए0बी0सी0डी0 भाग से दर्शित है, पर किए गए अवैध कब्जे में से 12x20=240 वर्गफुट प्रतिवादीगण द्वारा देशी बागड़ा की छपरीनुमा निर्माण कर दिया गया है एवं शेष हिस्से पर ईधन भूसा इत्यादि रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है तथा गाय, बैल, बकरी बांधने के लिए भी इस हिस्से का इस्तेमाल किया जा रहा है। उक्त अवैध कब्जा 64/2 एवं 63/2 के सामने से रास्ते से लगी भूमि है।
- 7— वादी अपने अपने वाद पत्र में बताया है कि उक्त अवैध कब्जे के कारण वादी स्वयं के स्वामित्व की उक्त खसरा नं. की भूमि से आम रास्ते तक पहुँच पाने में सक्षम नहीं रह गया है। वादी को सीमांकन के दस्तावेज की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 20/07/12 को प्राप्त हुई, तब से प्रतिवादीगण के द्वारा किए अवैध कब्जे के कारण वाद कारण निरंतर जारी है। इस प्रकार वादी ने विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्वधारी एवं वाद मानचित्र के साथ दर्शित तीरछी रेखा वाले भाग पर प्रतिवादीगण

के द्वारा किया गया अवैध कब्जा हटा लेवे एवं खसरा नं. 63/2 की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा वाद मानचित्र में ई०एफ०जी०एच० भाग से दर्शित वादी के स्वत्व की भूमि पर किया गया अवैध कब्जा हटावा कर वादी को दिलाया जावे एवं खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि के सामने वाले भाग के वाद मानचित्र में ए.बी.सी.डी. से दर्शित है, का अवैध कब्जा हटवाकर प्रतिवादीगण से दिलाए जाने का निवेदन कर यह दावा प्रस्तुत किया है।

9— वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र एक पक्षीय निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय है:—

#### विचारणीय प्रश्न

1—''क्या वादी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम ढुटमुर प०ह०नं० 10/31 राजस्व निरीक्षक मण्डल आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.038 हे0 एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे0 भूमि का एकमात्र स्वत्वधारी है?''

2—''क्या वादी की विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण के द्वारा खसरा नं. 63 / 2 भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है, जो वाद मानचित्र में ई०एफ०जी०एच० भाग से दर्शित है, का आधिपत्य हटाकर प्राप्त करने का अधिकारी है?''

3—''क्या वाद मानचित्र में तिरछी रेखा से दर्शित भाग पर प्रतिवादीगण के द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, जो कि खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि के सामने वाले भाग के वाद मानचित्र में ए०बी०सी०डी० से दर्शित है, अवैध कब्जा प्रतिवादीगण हटाकर जिसे वादी का सुखाधिकार के रूप में इस्तेमाल निर्वाद रूप से करता है?

4—''क्या वादी विवादित भूमि पर स्थायी निषेघाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है?'' निष्कर्ष

5-"सहायता एवं वाद व्यय?"

## —ःः निष्कर्ष एवं उसके आधार ःः— —ः:विचारणीय प्रश्न कं0—1 का निराकरणःः—

10— वादी साक्षी घनश्याम उर्फ मगरया (वा०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम ढुटमूर प०ह०नं० 10/31 रा०नि०मं० आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है। जिसका खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे0 है। उक्त भूमि उसने रजिस्ट्री के माध्यम से दिनांक 31/05/1993 को खरीदी थी। खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 की भूमि एक दूसरे से लगी हुई है और उक्त भूमि के पूर्व दिशा में सरकारी रास्ता है। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी गोकुल (वा०सा०2), डेबू (वा०सा०3), गोंडिया (वा०सा०4), रामकृष्ण (वा०सा०5) ने भी किया है।

11— वादी ने अपने समर्थन में रिजस्टर्ड विक्रय पत्र प्र0पी0 1 प्रस्तुत किया है। जिसमें खरीद्दार घनश्याम और विक्रेता रामदास एवं श्रीमती काशीबाई है। जिसमें खसरा नं. 63 रकबा 0.077 में से 0.038 हे0, खसरा नं. 64 रकबा 0.028 में से 0.020 हे0 भूमि रिजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 31/05/1993 को वादी द्वारा खरीदी गई है। प्र0पी0 2 का दस्तावेज ऋण पुस्तिका जिसमें खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038, खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे0 भूमि में वादी घनश्याम उर्फ मगर्या का नाम कृषक के रूप में उल्लेख है। खसरा किश्तबंदी खतौनी प्र0पी0 3 एवं खसरा प्र0पी0 4 वर्ष 2011—12 का प्रस्तुत किया है, जिसमें खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 खसरा नं0 64/2 रकबा 0.020 हे0 भूमि में भूमि स्वामी व शासकीय पट्टेदार के रूप में नाम उल्लेख है। उक्त दस्तावेज से यही स्पष्ट होता है कि वादी विवादित भूमि का एक मात्र स्वत्वधारी है।

12— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण यह स्पष्ट है कि वादी विवादित भूमि खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 का एक मात्र स्वत्वधारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न कं 2 का निराकरण

13— वादी साक्षी घनश्याम उर्फ मगर्या (वा०सा०1) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि प्रतिवादीगण द्वारा लगभग दो तीन महीने स्वयं के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 63/1 में निर्माण कार्य किया गया। उसी दौरान उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 63/1 में निर्माण कार्य किया गया। इस दौरान उसके स्वत्व की वादग्रस्त भूमि के साथ संलग्न नक्शे का ई०एफ०जी०एच० भाग एवं खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 के

रोड से लगे भाग का भी इस्तेमाल प्रतिवादीगण द्वारा निर्माण सामाग्री रखने के लिए किया गया। प्रतिवादीगण के द्वारा निर्माण कार्य समाप्त होने के बाद प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त रिक्त भूमि की रखी सामाग्री नहीं हटाया है।

14— आगे वादी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि उसके द्वारा वाद पत्र के साथ नक्शा प्रस्तुत किया गया है। नक्शे में कली तिरछी रेखाओं से दर्शित भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। खसरा नं. 63/2 में दर्शित तिरछी रेखाओं वाला भाग उसके स्वामित्व की भूमि है। जिसमें से 0.008 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगणों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। इसी प्रकार खसरा नं. 64/2 के सामने वाला नक्शे में दर्शित तिरछी रेखाओं वाले भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा अवैध कब्जा कर लिए जाने के कारण वह स्वयं के स्वामित्व की भूमि खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि पर आने जाने के लिए आम रास्ते का इस्तेमाल कर नहीं पहुँच पा रहा है। जिससे की उसके रास्ते का सुखाधिकार बाधित हो रहा है। उक्त रास्ते का इस्तेमाल उसके अलावा गांव के सभी लोग एवं आम जनता भी करती है। आगे वादी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि सीमांकन में खसरा नं. 63/2 के 0.008 हे0 भूमि पर प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाया गया। लेकिन खसरा नं. 64/2 की भूमि पर अवैध कब्जा होने का उल्लेख सीमांकन के दस्तावेजों में नहीं है।

15— आगे वादी ने अपने साक्ष्य में यह भी बताया है कि खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 की भूमि से लगकर पूर्व दिशा में स्थित सरकारी रास्ते पर वाद मानचित्र में दर्शित ए०बी०सी०डी० भाग का प्रतिवादीगण द्वारा झोपडीनुमा अवैध निर्माण कर लिया गया है जिससे की वादी अपने स्वामित्व की भूमि में नहीं पहुँच पा रहा है। सीमांकन के दस्तावेजों में ए०बी०सी०डी० भाग पर अवैध कब्जे का उल्लेख नहीं है, क्योंकि ए०बी०सी०डी० भाग वादी के स्वामित्व की भूमि तो नहीं है लेकिन उक्त भाग पर प्रतिवादीगणों द्वारा अवैध निर्माण कर लिए जाने के कारण उसका रास्ते का सुखाधिकार बन्द हो गया है जिसका इस्तेमाल पहले वह किया करता था। उक्त साक्ष्य का समर्थन वादी साक्षी गोलू (वा०सा०2), वादी साक्षी डेबू (वा०सा०3), गोंडिया (वा०सा०4) एवं रामकृष्ण (वा०सा०5) ने अपनी साक्ष्य से किया है और उक्त साक्ष्य को प्रतिवादीगण की ओर से कोई खंडन नहीं किया गया है।

16— वादी ने अपने समर्थन में न्यायालय तहसीलदार आमला पटवारी हल्का नं. 2 को विवादित भूमि खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 रकबा क्रमश 0.030 एवं 0.020 हे0 भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु राजस्व निरीक्षक आमला को दिया गया प्रतिवेदन है। प्र0पी0 6 तहसीलदार आमला के समक्ष प्रस्तुत प्रतिवेदन जिसमें आवेदक घनश्याम चैतू कुन्बी की भूमि खसरा नं. 63/2 एवं 64/2 रकबा क्रमश 0.038 एवं 0.020 हे0 भूमि का सीमांकन स्वयं आवेदक उपस्थित पड़ोसी की भूमि रामप्रसाद उपस्थित तथा ग्रामीण भी उपस्थित रहें खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 पर आवेदक काबिज है तथा खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 हे0 भूमि पर में से 0.08 हे भूमि पर

रामनाथ, रामप्रसाद बलवन्त द्वारा अवैध कब्जा कर निस्तार हेतु उपयोग में लेकर काबिज हैं। उसी प्रकार स्थल पंचनामा प्र0पी० 7 में भी उल्लेख है एवं नक्शा प्र0पी० 8 में भी 0.08 आरे पर रामनाथ, रामप्रसाद, बलवंत वल्द दमडू द्वारा अवैध कब्जे का उल्लेख है। प्र0पी० 9 के नक्शे में भी उक्त तथ्य का उल्लेख है। प्र0पी० 10 फिल्ड बुक प्रस्तुत की गई है जिसमें अवैध कब्जा किया गया, का उल्लेख है। प्र0पी० 11 कलेक्टर के समक्ष दिये गये आवेदन की रसीद है। प्र0पी० 12 ग्राम पंचायत छावल को अतिक्रमण हटाने हेतु प्रतिवेदन है। इस प्रकार उक्त दस्तावेजों से यही स्पष्ट होता है कि वादी के स्वत्व की भूमि खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 हे० भूमि में से 0.08 हे० भूमि में प्रतिवादीगण रामनाथ, रामप्रसाद, बलवन्त के द्वारा जो अवैध कब्जा किया गया है, उसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।

17— वादी द्वारा अपने वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा ई०एफ०जी०एच० एवं ए०बी०सी०डी० के सामने आम रास्ता सरकारी भूमि का उल्लेख है। जिसे वादी आने जाने का सुखाधिकार के रूप में उपयोग करता है जिस संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से उक्त नक्शों के संबंध में कोई खंडन नहीं किया है, जो कि वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा 64/2 एवं 63/2 के सामने ए.बी.सी.डी. भाग पर अतिक्रमण दर्शाया है जिसे वादी ने अपने वाद पत्र एवं साक्ष्य में भी स्पष्ट रूप से बताया है। उसी प्रकार खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 के नीचे ई०एफ०जी०एच० भाग पर तिरछी रेखाओं से दर्शित किया गया है। जिस भाग पर वादी की ओर से अतिक्रमण बताया है उक्त अतिक्रमण के संबंध में भी प्रतिवादीगण की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वादी की भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे वादी प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कृ० 2 व 3 का निराकरण "प्रमाणित" रूप से किया जाता है।

### विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण

18— विचारणीय प्रश्न कं 1 से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि का वादी एक मात्र स्वत्वधारी है और विचारणीय प्रश्न कं 2 और 3 से यह स्पष्ट है कि वादी के स्वत्व की भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है और वादी जो वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा ए०बी०सी०डी० से दर्शित है जिसे सुखाधिकार के रूप में रास्ते के रूप में वादी उपयोग करता है। ऐसी परिस्थिति में वादी विवादित भूमि पर स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं 4 का निराकरण ''प्रमाणित'' रूप से किया जाता है।

### सहायता एवं वाद व्यय

19-

वादी अपना दावा प्रमाणित करने में सफल रहा। अतः निम्न आशय की

अज्ञाप्ति व डिकी पारित की जाती है।

- 1— यह घोषित किया जाता है कि वादी के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि ग्राम ढुटमुर प0ह0नं0 10/31 राजस्व निरीक्षक मण्डल आमला, तहसील आमला, जिला बैतूल में स्थित है। जिसका खसरा नम्बर 63/2 रकबा 0.038 है0 एवं खसरा नं. 64/2 रकबा 0.020 हे0 भूमि का एकमात्र स्वत्वधारी है।
- 2— वादी के स्वत्व की भूमि खसरा नं. 63/2 रकबा 0.038 हे0 भूमि में प्रतिवादी कं 1 से 3 के द्वारा रकबा 0.008 पर जो अतिक्रमण किया है उसे प्रतिवादीगण हटाकर वादी को कब्जा सौंपे।
- 3— वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शा तिरछी रेखाओं से दर्शित वाले भाग का अवैध कब्जा जो कि ई0एफ0जी0एच0 से दर्शित है जिसे प्रतिवादीगण उक्त अवैध कब्जा को हटवाकर वादी को सौंपे। उक्त अवैध कब्जा को हटवाकर वादी प्राप्त करने का अधिकारी है।
- 4— खसरा नं. 64/2 एवं 63/2 की भूमि के सामने वाले भाग वाद मानचित्र में जो ए.बी.सी.डी. से दर्शित है, उक्त अवैध कब्जे को प्रतिवादीगण हटाएँ एवं वादी के सुखाधिकार के रास्ते का जो उपयोग करता है उसे निर्वाद रूप से करने दें।
- 5— वादी की पक्ष में इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि विवादित भूमि के किसी भी हिस्से पर स्वयं या किसी भी माध्यम से अवैध कब्जा ना करें।
- 6— वादी स्वयं का वाद व्यय वहन करेगा।
- 7— अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने पर नियमानुसार प्रदान किया जावे।

उपरोक्तानुसार आज्ञप्ति बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया । मेरे निर्देशन पर कम्प्यूटर पर टंकित किया गया।

(धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 आमला जिला बैतूल म0प्र0 (धनकुमार कुडोपा) व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—2, आमला जिला बैतूल म0प्र0